भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1502

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है ।

09 श्रावण, 1948 (शक)

हाशिए पर मौजूद और अल्पसंख्यक समुदायों का डिजिटल समावेशन

1502. श्रीमती राजाथी:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं तक प्रभावी पहुँच से रोकने वाली बाधाओं की पहचान हेतु कोई अनुसंधान किया है अथवा करवाया है;

(ख) डिजिटल समावेशन में लैंगिक अंतराल (जेंडर गैप) को समझने हेतु कौन-कौन से विशिष्ट अध्ययन किए गए हैं अथवा करवाए गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच डिजिटल साक्षरता और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तक पहुँच में सुधार हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय किया है; और

(घ) इस डिजिटल अंतराल को पाटने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इसके मूल में, यह कार्यक्रम तीन परस्पर जुड़े लक्ष्यों को बढ़ावा देता है: डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना और डिजिटल साक्षरता और रोजगार के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।

सरकार, भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को शामिल करते हुए संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लागू कर रही है। कार्यक्रम के तहत, सरकारी सेवाओं के कुशल, पारदर्शी और सुलभ वितरण की सुविधा के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों, प्लेटफार्मों और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को लागू किया जा रहा है।

इन डिजिटल सेवाओं को समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

किफायती डेटा, सहायक डिजिटल एक्सेस प्वाइंट और इंटरऑपरेबल पब्लिक प्लेटफॉर्म नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने, डिजिटल भुगतान करने, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने और शासन में भाग लेने में सक्षम बना रहे हैं। डेटा लागत वर्ष 2014 में 269 रुपये

प्रति जीबी से घटकर वर्ष 2025-26 में लगभग 8-10 रुपये प्रति जीबी हो गई है, जिससे भारत दुनिया के सबसे सस्ते डेटा बाजारों में से एक बन गया है।
सरकार प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में विश्वास करती है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)** दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक है, जिसमें देश भर में 6.39 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है (6 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में)। इसमें से 1.17 करोड़+ अनुसूचित जाति से, 56.23 लाख+ अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित और 3.59 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। यह योजना समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों अर्थात अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सशक्त बनाने पर केंद्रित थी। यह योजना 31.03.2024 को संपन्न हुई थी।
- **रोजगार वृद्धि और आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम [ईईएलटीपी]:** एमईआईटीवाई आईईसीटी में क्षमता निर्माण और कौशल विकास के माध्यम से "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस (महिला) युवाओं के रोजगार क्षमता वृद्धि और आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम [ईईएलटीपी] "नामक परियोजना को लागू कर रहा है। अब तक, 35,000 से अधिक उम्मीदवारों को पंजीकृत किया गया है और 14,000 से अधिक उम्मीदवारों को कार्यक्रम के तहत प्रमाणित किया गया है।
- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी)** देश भर में 56 केंद्रों और 9,000 से अधिक भागीदार संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से एसीसी और सीसीसी सहित डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कार्यक्रमों के तहत एनआईईएलआईटी द्वारा 31.92 लाख+ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 4.38 लाख+ उम्मीदवार अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित हैं और 2.23 लाख+ उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों से संबंधित हैं और 11.88 लाख+ उम्मीदवार महिलाएं हैं।
- **फ्यूचरस्किल्स प्राइम**, भारत सरकार और नैसकॉम की एक सहयोगी पहल है, जो उभरती प्रौद्योगिकियों में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रदान करती है। अब तक, 34 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिसमें 23 लाख से अधिक को विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित/प्रशिक्षित किया गया है।
- **नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी (एनडीयू) प्लेटफॉर्म:** यह प्लेटफॉर्म उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा आदि में ऑनलाइन और मिश्रित कौशल-आधारित उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब तक 2.75 लाख+ उम्मीदवारों ने एनआईईएलआईटी डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म के तहत पंजीकरण कराया है।
- **ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा) सभी** ग्रेडों के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जेइज्ड पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। दीक्षा में एक भागीदार के रूप में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने बहुभाषावाद को सक्षम करने वाली स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.67 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और अपना योगदान दिया है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 2.29 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए 579.41 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं।
- **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)** 800 से अधिक सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान करते हैं, जिससे ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से अंतिम-मील सेवा वितरण में वृद्धि होती है। मई 2026 तक, देश भर में 5.01 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर पर 3.91 लाख सीएससी शामिल हैं। अब तक, अनुसूचित

जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) बहुल क्षेत्रों में कुल 2.98 लाख सीएससी स्थापित किए गए हैं।

- डिजिटल सेवाओं में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) – **भाषिणी शुरू किया है**, जिसकी परिकल्पना भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों के लिए एक सार्वजनिक डिजिटल मंच के रूप में की गई है। भाषिणी मंच भारत की विविध आबादी के लिए संचार बाधाओं को दूर करता है। यह वंचित समुदायों के लिए डिजिटल उपकरणों तक अधिक पहुंच को बढ़ावा देता है।
- **भारतनेट** परियोजना को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बहुल आबादी वाली ग्राम सभाओं सहित देश भर में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और ग्राम पंचायतों से परे गांवों को मांग के आधार पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया गया है। जून 2026 तक, देश भर में भारतनेट परियोजना के तहत कुल 2.21 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा के लिए तैयार किया गया है।
  इसके अलावा, देश भर के नागरिकों को विभिन्न पहलों, जैसे डिजी-लॉकर, यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग), माई स्कीम, ई-साइन, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी), मेरी पहचान/नेशनल सिंगल साइन-ऑन (एनएसएसओ), ई-संजीवनी, ई-हॉस्पिटल और माईगव, आदि के तहत ई-सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया गया है।

डिजिटल पहलों का आकलन और प्रभाव अध्ययन:

- सरकार ने समय-समय पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ई-गवर्नेंस पहलों का मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन समय-समय पर मॉनीटरिंग, स्टेकहोल्डर परामर्श और स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से किया है।
- फरवरी, 2021 में नीति आयोग द्वारा सामाजिक समावेशन, कानून और व्यवस्था और न्याय वितरण की केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में पांच मंत्रालयों में 31 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें अनुसूचित जातियों के विकास और अन्य कमजोर समूहों के विकास (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय); अनुसूचित जनजाति विकास (जनजातीय कार्य मंत्रालय); अल्पसंख्यकों का विकास (अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय); पुलिस बल और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (गृह मंत्रालय) और न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं (विधि और न्याय मंत्रालय) का आधुनिकीकरण शामिल है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य इन योजनाओं में नवाचार और स्थिरता लाने के लिए प्रभावशीलता, दक्षता, प्रभाव और मूल्यवर्धन की गुंजाइश के व्यापक परिदृश्य को समझना है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर समग्र क्षेत्रीय प्रभाव का आकलन किया जा सके।
- 2025 में, डिजिटल अंगीकरण और इसके उभरते प्रभाव का आकलन करने के लिए "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: नागरिक प्रतिक्रिया और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि" शीर्षक से एक सर्वेक्षण-आधारित अध्ययन आयोजित किया गया था। अध्ययन में पाया गया कि 90% उत्तरदाता डिजिटल सेवाओं, विशेष रूप से आधार, यूपीआई/भीम, डिजिलॉकर, राशन कार्ड सेवाओं और अन्य डिजिटल सेवाओं के बारे में जानते थे और उनका उपयोग करते थे। इसके अलावा, 71% ने महीने में कम से कम एक बार डिजिटल इंडिया सेवाओं का उपयोग किया, जिनमें से 77% ने समय के साथ उपयोग में वृद्धि की सूचना दी। इसके अतिरिक्त, 88% उत्तरदाताओं ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जैसे आधार और यूपीआई और इसकी बढ़ती वैश्विक मान्यता पर गर्व व्यक्त किया।
- एमईआईटीवाई ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (एमआईडीएस) के सहयोग से 2025 में 'डिजिटल अर्थव्यवस्था में अंतर को पाटना: डिजिटल समावेशन में बाधा डालने

वाले कारक और प्रेरक तत्व' शीर्षक से एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित चार अलग-अलग राज्यों (तमिलनाडु, ओडिशा, असम और राजस्थान) के चार महत्वाकांक्षी जिलों में परिवारों के बीच डिजिटल पहुंच, उपयोग और लाभों के वितरण का विश्लेषण किया गया है, जिसमें लिंग, आयु और परिवार के भीतर की गतिशीलता किस प्रकार डिजिटल सहभागिता को प्रभावित करती है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है।

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (सीएएमएस), 2022-23 के अनुसार, 15-24 वर्ष की आयु के 78.4% व्यक्तियों ने संलग्न फाइलों के साथ संदेश भेजने की क्षमता की सूचना दी, जो युवाओं के बीच बेहतर डिजिटल कौशल का संकेत देता है। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि 94.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 97.1 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास टेलीफोन/मोबाइल फोन है।
  इसके अलावा, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन भी किया गया था:
  सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स (सीआईपीएस), हैदराबाद द्वारा सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) योजना (सीएससी 1.0) का एक स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन किया गया था।
  सीएससी 1.0 के मूल्यांकन अध्ययन से यह सामने आया है कि सीएससी पहल में व्यवहार्यता और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए पर्याप्त क्षमता है। सीएससी योजना वास्तव में न केवल नागरिक सेवाओं के कुशल और प्रभावी वितरण के लिए बल्कि ग्रामीण आबादी के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी एक शक्तिशाली माध्यम है।
- सीएससी 2.0 का मध्यावधि प्रभाव मूल्यांकन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद द्वारा किया गया था। रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है कि सीएससी ने नागरिकों की यात्रा की दूरी को 27.25 किमी, यात्रा के समय में 40.43 मिनट, प्रतीक्षा समय में 69.45 मिनट, यात्रा लागत में 52.12 रुपये और मजदूरी हानि को 179.44 रुपये प्रति लेनदेन कम कर दिया है।

● प्रबंधन अध्ययन अकादमी (एएमएस) द्वारा अंतिम अवधि के प्रभाव का आकलन किया गया। आकलन में बताया गया कि 98% लाभार्थी सीएससी के माध्यम से आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम थे, 93% ने अपने जीवन पर सकारात्मक प्रभाव महसूस किया और 95% ने सीएससी के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्टि व्यक्त की।

*****